Payment of wages

मजूरी देनगी अधिनियम, १९३६ और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम की संशोधित संक्षिप्तियाँ

(१) **अधिनियम किन पर लागू होता है :** अधिनियम किसी कारखाने में ४०० रुपये प्रति मास से कम मजूरी पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है ।

(२) कोई भी व्यक्ति इस नियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों को संविदा अथवा सहमति द्वारा नहीं छोड़ सकता ।

(३) **मजूरी की परिभाषा :** मजूरी में हर प्रकार का पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में, भत्तों के रूप में या किसी अन्य रूप में हो) अभिप्रेत है, जो कि एक कर्मचारी को रोजगार के संविदा को पूरा करने पर मिलना चाहिये ।

इनमें निम्नलिखित पारिश्रमिक शामिल हैं :-

(क) किसी पंचाट, नियोजक और नियोजित व्यक्ति के बीच हुए किसी समझौते अथवा न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत दिया जाने वाला पारिश्रमिक ।

(ख) अतिरिक्त (ओवरटाईम) का आम छुट्टियों व छुट्टी लेने के सम्बन्ध में पारिश्रमिक ।

(ग) नियोजन की शर्तों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अतिरिक्त पारिश्रमिक (उसे बोनस का नाम दिया जाता हो या कोई अन्य नाम) ।

(घ) किसी अधिनियम संविदा आदि के अन्तर्गत नियोजन के समाप्ति के बाद दिया जाने वाले पारिश्रमिक।

(ङ) किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी स्कीम के अन्तर्गत समय-समय पर दिया जाने वाले पारिश्रमिक ।

परन्तु इसमें यह पारिश्रमिक शामिल नहीं हैं :-

(क) ऐसा बोनस जोकि रोजगार की शर्तों के अन्तर्गत दिये जाने वाले पारिश्रमिक का भाग न हो अथवा जिसकी मजूरी का किसी पंचाट, नियोजक व नियोजित व्यक्तियों के बीच किसी समझौते अथवा न्यायालय की आज्ञा में प्रबन्ध न किया गया हो ।

(ख) घरेलू स्थान का मूल्य, या बिजली, पानी, डाक्टरी सहायता या कोई अन्य सुविधा व सेवा, जिन्हें कि राज्य सरकार की आम या विशेष आज्ञा में मजूरी जोड़ने के लिए शामिल न किया गया हो ।

(ग) नियोजकों द्वारा मूल्य निवृति वेतन या भविष्य निधी में दिया गया रुपया और उस पर बनने वाला ब्याज।

(घ) यात्रा का भत्ता या किसी यात्रा की रियायत का मूल्य ।

(ङ) अपनी नौकरी के नाते होने वाले विशेष खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी गई रकम।

(च) उपरोक्त ३ (घ) में बतलाये गये मामलों के अतिरिक्त नौकरी के खत्म होने पर दी जाने वाला कोई अन्य देय देय उपदान ।

(४) **अदायगी की जिम्मेदारी व तरीका :** कारखाने का नियोजक अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय का जिम्मेदार होगा और जो ठेकेदार जितने आदमियों को अपने काम पर लगायेगा, उनको मजूरी अदा करने का वह जिम्मेदार होगा ।

(५) मजूरी देने के लिए समय निश्चित कर दिये जायेंगे और यह एक महीने से अधिक अवधि के नहीं होंगे ।

(६) मजूरी काम करने के दिन, मजूरी देने के निश्चित समय के समाप्त होने के सात दिन (और यदि १००० या इससे अधिक व्यक्ति काम पर लगा रखे हों तो १० दिन के अन्दर-अन्दर देय होगी । जिस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया हो, उसे नौकरी से हटाने के बाद अगले काम के दिन अवश्य ही मजूरी मिल जानी चाहिये ।

(७) माल सामान में अदायगी कतई नहीं होनी चाहिये । तमाम मजूरियें चालू सिक्कों व करेंसी नोट या दोनों में दी जानी चाहियें ।

(८) **जुर्माने और कटौती :** इस अधिनियम (नीचे दिये गये ९.-१७ तक के पैरा देखिये) के अन्तर्गत निर्धारित कटौती के अतिरिक्त मजूरी से और कोई कटौती नहीं की जायेगी ।

(९) **जुर्माना केवल उन्हीं कामों व लापरवाही के लिए हो सकता है, जिनके बारे में मालिक ने चीफ इन्सपेक्टर (फैक्टरीज) की पूर्व आज्ञा से कारखाने के मुख्य द्वार पर या इसके पास नोटिस लगा रखा हो, और कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो ।**

जुर्माने :-

(क) रुपये में २ (पुराने) पैसे से अधिक न हो ।

(ख) किस्तों में वसूल नहीं किये जायेंगे और न ही इनके लगाने के ६० दिनों के बाद वसूल किये जा सकेंगे।

(ग) एक रजिस्टर में इनका रिकार्ड रखा जायेगा और चीफ इन्सपेक्टर (फैक्टरीज) से मन्जूर शुदा कर्मचारियों के भले के कामों में प्रयुक्त किया जायेगा ।

(घ) बच्चों पर नहीं लगाये जायेंगे ।

(१०) ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के कारण की जाने वाली कटौती केवल तभी की जा सकती है जबकि कर्मचारी उस वक्त गैरहाजिर रहा हो जबकि उसे ड्यूटी पर होना चाहिये था । और यह उस रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि कुल समय के मुताबिक उस समय की उजरत बनती हो ।

यदि दस या इससे अधिक कर्मचारी आपस में मिलकर बिना पहिले से नोटिस दिये और बिना किसी उचित कारण के गैरहाजिर रहें तो नोटिस के बदले में ८ दिन की मजूरी काटी जा सकती है, लेकिन

(क) किसी १५ वर्ष की कम आयु के लड़के व महिला से संविदा तोड़ने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(ख) नौकरी के संविदे में यह भी लिखा होना चाहिए कि कर्मचारी को काम छोड़ने से पहले एक विशेष अवधि जो कि १५ दिनों से अधिक न हो, या फिर जितनी अवधि का मजूरी अपने कर्मचारी को निकालने से पहले नोटिस देगा, उतनी अवधि का नोटिस देना होगा और इस नोटिस के बदले में नियोजक काटी जा सकती है ।

(ग) उपरोक्त अनुबन्ध को कारखाने के मुख्य द्वार पर या इसके समीप लिखवा देना चाहिये ।

(घ) इस प्रकार की कटौती तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इस अभिप्राय का नोटिस कारखाने से मुख्य द्वार या इसके पास न लगा दिया गया हो ।

(ङ) यह कटौती उस अवधि की उजरत से अधिक नहीं होनी चाहिये जितनी कि कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिये गये नोटिस की अवधि, करार के अन्तर्गत दिये जाने वाले नोटिस की अवधि से कम हो ।

(११) ऐसे सामान को नुकसान पहुँचने व गुम होने के बदले कर्मचारी की उजरत से कटौती की जा सकती है, जो कि उसकी निगरानी में रखा गया हो और ऐसे रुपये पैसे के कम हो जाने की सूरत में भी कटौती की जा सकेगी, जिसका कि उसे हिसाब देना हो । परन्तु इन दोनों हालतों में नुकसान कर्मचारी की लापरवाही या त्रुटि के कारण हुआ हो ।

(१२) घर के स्थान के लिये कटौती की जा सकती है, यदि वह घर मालिक कारखाना, सरकार या उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी गृह निर्माण मंडल द्वारा दिया गया हो (चाहे कर्मचारी सरकारी नौकरी अथवा उस मंडल की नौकरी करता हो या न करता हो) या फिर किसी और संस्था की ओर से दिया गया हो जो कि घरों के लिए आर्थिक सहायता देने के कार्य में लगी हुई हो और इस बारे में राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में इस मतलब का नोटिफिकेशन जारी किया गया हो ।

(१३) मालिक द्वारा उपलब्ध की गई सुविधाओं व सेवाओं (औजारों व कच्चे माल को छोड़कर) की कीमत के बराबर कटौती की जा सकती है, यदि यह बात कर्मचारी द्वारा रोजगार के करार के एक भाग के तौर पर मंजूर की गई हो और सरकार ने इस बारे में मंजूरी दे दी हो ।

(१४) कर्मचारी द्वारा लिखित अधिकार देने के बाद जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित जीवन बीमा निगम को उसकी जीवन बीमा पालिसी की कोई परीमियम की अदायगी करने के लिए कटौती की जा सकती है, अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिक्युरिटियाँ खरीदने या किसी सरकारी बचत योजना के लिए पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए कटौती की जा सकती है।

(१५) (क) पेशगी दी गई रकम को वसूल करने या अधिक दी गई मजूरी को प्राप्त करने के लिए कटौती की जा सकती है ।

(ख) नौकरी पर काम शुरू करने से पहले कर्मचारी को दी गई पेशगी रकम उजरत, देने के निश्चित समय के पूरे होने पर पहली बार दी जाने वाली उजरत से ही काटी जा सकती है, लेकिन नौकरी पर काम शुरू करने से पहले सफर खर्च के लिए दी गई पेशगी रकम वसूल नहीं की जा सकेगी।

(ग) आगे कमाई जाने वाली उजरतों के बदले पेशगी, नौकरी के दौरान मालिक की इच्छा पर दी जा सकती है । परन्तु यह पेशगी बिना किसी इन्सपैक्टर की इजाजत लिए बिना दो महीने की उजरत से अधिक नहीं होनी चाहिये । पेशगी रकम किस्तों में वसूल की जा सकती है, परन्तु यह किस्तें १२ महीने से अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिये और ना ही कोई किस्त एक निश्चित समय के लिए दी जाने वाली उजरत के एक बटा तीन भाग (और यदि उजरत २० रूपये से कम हो तो एक बटा चार भाग) से अधिक न हो ।

(१६) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में रूपया देने या वहाँ से ली गई पेशगी रकम को वापिस करने के लिए कटौती की जा सकती है ।

(१७) स्थानीय सरकार द्वारा मंजूर शुदा किसी सहकारी सभा को अदायगी करने के लिए या पोस्टल इन्शियुरेंस (स्थानीय सरकार द्वारा यदि कोई शर्त लगाई गई हो तो उनको ध्यान में रखते हुए) में रूपया देने के लिए कटौती की जा सकती है ।

इन हालातों में कटौती नहीं की जा सकेगी :-

(१८) ठीक और पर्याप्त कारण के होते हुए किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित जुर्माने लगाने से उजरतों में होने वाली कमी की कटौती नहीं की जा सकेगी । पर मालिक द्वारा ऐसे जुर्माने लगाने के लिए बनाए गए नियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में जारी की गई कुछ आवश्यकताओं, यदि कोई हों, की पूर्ति करते हों।

(क) उजरतों में होने वाली वृद्धि को या तरक्की को रोक दिया गया हो (दक्षतावरोध पर उजरतों में रोकी वृद्धि भी शामिल है),

(ख) पद घटा देना या उजरतों के कम रकेल पर लगा देना या उस समय चालू स्केल में कम स्तर पर कर देना,

या

(ग) मुअत्तली ।

(१९) **निरीक्षण :** इन्सपेक्टर किसी भी कारखाने में जा सकता है और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु निरीक्षण (जिसमें कागजात का नीरीक्षण करना व गवाहियाँ लेना भी शामिल है) कर सकता है ।

(२०) **कटौती व देर होने की शिकायतें :**

(क) जब अनियमित रूप से मजूरी में कटौती की गई हो या अदायगी में देर की गई हो तो कर्मचारी ६ महीने के अन्दर-अन्दर एक निर्धारित फार्म पर अपना प्रार्थना पत्र इस उद्देश्य के लिए स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को दे दें । यदि देरी होने का कोई पर्याप्त कारण न दिया गया हो, तो इस अवधि के बाद दिया गया प्रार्थना पत्र रद्द किया जा सकता है ।

(ख) कोई वकील, किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी, इन्सपेक्टर या उपरोक्त अधिकारी का मंजूरी से काम कर रहा कोई अन्य व्यक्ति कर्मचारी की ओर से शिकायत कर सकता है ।

(ग) एक कारखाने के जितने व्यक्ति भी चाहें उजरतों के मिलने में देरी हो जाने के कारण एक ही प्रार्थना पत्र दे सकते हैं । या कोई अन्य व्यक्ति उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दे सकता है ।

(२१) **अधिकारी द्वारा कारवाई :**

(क) अधिकारी रूकी हुई उजरतों की अदायगी या गैर-कानूनी तौर पर की गई कटौती की वापिस करने की आज्ञा देने के अतिरिक्त कर्मचारी को मुआवजा भी दिलवा सकता है ।

(ख) यदि किसी कर्मचारी ने या उसकी ओर से किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति ने प्रार्थना, कोई पत्र या अपील कर रखी हो, और संबंधित अधिकारी या न्यायालय को यह विश्वास हो गया हो कि मालिक या अन्य व्यक्ति जो कि मजूरी देने के जिम्मेदार है, इस अधिनियम के अन्तर्गत जो रकम उन से देने के लिए कही गई है, नहीं देंगे तो अधिकारी या न्यायालय, मालिक या उस व्यक्ति, जो कि उजरतें देने का जिम्मेदार हो, कि जायदाद का उतना भाग, जो कि उसके विचार में, उस रकम की अदायगी में जिसकी आज्ञा दी गई थी, पर्याप्त होगा, को कुर्क करने की आज्ञा दे सकता है । यदि शिकायत झूठी हो तो अधिकारी प्रार्थी पर ५० रूपये तक जुर्माना कर सकता है और यह रकम मालिक को दिये जाने की आज्ञा दे सकता है ।

(२२) **अधिकारी के विरूद्ध अपील :** अधिकारी के विरूद्ध अपील ३० दिन के अन्दर-अन्दर एक निर्धारित फार्म पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस प्रकार की जा सकती है :-

(क) उजरतें देने वाले द्वारा, यदि उसे जो रकम अदा करने की आज्ञा हुई है वह ३०० रुपये से अधिक है ।

(ख) कर्मचारी द्वारा, यदि उसकी या उसके साथ काम कर रहे अन्य व्यक्तियों की कुल रोकी गई उजरतें ५० रूपये से ज्यादा बनती हों ।

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे झूठा प्रार्थना-पत्र देने पर जुर्माना देना-देने की आज्ञा दी गई हो ।

(२३) **अधिनियम को तोड़ने की सजाएँ :** किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिसने निश्चित समय तक उजरतें न दी हों या उजरतों से गैर-कानूनी तौर पर कटौती की हो, पर ५०० रूपये तक जुर्माना हो सकता है, परन्तु अधिकारी या अपीलें सुनने वाली अदालत की मंजूरी के साथ मुकदमा चलाया गया हो ।

(२४) ऐसे उजरतें अदा करने वाले व्यक्ति, जिसने (क) उजरतें देने का समय निश्चित न किया हो, या (ख) माल सामान की शक्ल में अदायगी करता हो या (ग) इन नियमों को अंग्रेजी में और कर्मचारियों की अधिकतर संख्या जिस भाषा को जानती हो, उसमें कारखाने के मुख्य द्वार अथवा उसके समीप नहीं लगाता, या (घ) अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये कुछ कानूनों को तोड़ता है, पर २०० रूपये तक जुर्माना हो सकता है ।

इस बारे में शिकायत केवल इन्सपेक्टर या उसकी मंजूरी से की जा सकती है ।

JAIN BOOK DEPOT C-4, Opp. PVR Plaza, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Phone : 23416101/02/03 Email : sales@jainbookdepot.com